निबंधन एवं शर्तें

परामर्शदाता- किशोर स्वास्थ्य (प्रशिक्षण)- (एक पद)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त दिए गए पद के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से पूर्णत: संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है।

रिपोर्टिंग : उपायुक्त, किशोर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भूमिका और उत्तरदायित्व:

1. राज्य/जिला/प्रशिक्षण केंद्रों के कर्मचारियों के मार्गदर्शन/सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य में निरंतर सुधार के लिए राज्य और जिलों में कार्यक्रम के कुल लक्ष्यों (संख्या और गुणवत्ता) को प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी और यदि आवश्यक हो तो दिशा-निर्देशों का संशोधन/निर्माण और परिचालित करना।
2. राज्य पीआईपी तैयार करना, जिला योजनाओं विशेष रूप से सूक्ष्म योजनाओं के किशोर स्वास्थ्य संघटक को तैयार करने में जिलों को सहायता प्रदान करना।
3. वेब आधारित एचएमआईएस और फील्ड विजिट से प्राप्त/उपलब्ध आंकड़ो की रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से अनुमोदित योजना के संबंध में हुई प्रगति का आकलन।
4. राज्यों के दौरे हेतु चेकलिस्ट तैयार करना (लक्षित समूह को सेवा प्रदान करने तथा इसके उपयोग पर बल देने के साथ); आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।
5. राज्यों के बार-बार दौरे और विशेष रूप से सेवा प्रदान किए जाने की निगरानी करना ताकि विशेष रूप से गुणवत्ता के क्षेत्र में सक्षमता और कमी का पता लगाया जा सके और इसे दूर करने के लिए विचार-विमर्श और उठाए जाने वाले कदमों पर सहमति बनाई जा सके। सहमति वाले कदमों को कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए फॉलो-अप करना। प्रति माह कम से कम 15 दिन यात्रा करने की परिकल्पना की गई है।
6. फील्ड विजिट/निगरानी से फीडबैक के आधार पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना/तैयार करना; यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं और कार्यशाला के माध्यम से संशोधित दिशा-निर्देशों को परिचालित किया गया है। विशेष रूप से किशोरों से संपर्क करने और प्रभावी ढंग से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए नवोन्मेष सहित तरीकों की पहचान करना।
7. किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन/उपलब्ध कराने के मामले में निरंतर प्रक्रियागत सुधार लाने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना/प्रदान करना।
8. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण सहित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
9. प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में सेवा प्रदायकों के विभिन्न समूहों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन और निगरानी करना।
10. कोई अन्य कार्य, जो समय-समय पर सौंपा जाए।

योग्यता:

1. प्रख्यात विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/स्वास्थ्य प्रबंधन में एमबीए
2. 2 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम/आरसीएच का अनुभव अपेक्षित है।
3. उत्तम अंतर वैयक्तिक कौशल; सरकारी तंत्र में विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।
4. कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।
5. औपचारिक शैक्षिक योग्यता और अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है, यदि उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य है या विशेष प्रासंगिक का कार्य अनुभव है।

आयु: दिनांक 1/4/2017 की तिथि के अनुसार 55 वर्ष से अधिक न हो और अत्यधिक दौरों पर जाने हेतु स्वास्थ्य उत्तम हो।

पारिश्रमिक की सीमा: प्रतिमाह 40,000/-रु. से 90,000/-रु. के बीच।

स्थान: दिल्ली

आवेदन कैसे करें:

कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह एनएचएसआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध ToR के साथ संलग्न आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को ई.मेल mohfw.recruitment@gmail.com में दिनांक **1-Jul-2017** को अपराह्न्न 4 बजे तक **अवश्य भेज दे**। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।